20/2016 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

बलकारसिंह वगैरा बनाम राज्य व जसकरणसिंह

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 20/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
9.03.16	अपीलांटास के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अपीलांटस के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांटास के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांटस के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि दौराने अपील अपीलाधीन आदेश व इंतकाल प्रभावित रहता है तो अपील का मकसद फौत हो जायेगा, और अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रथमदृष्टया मामला अपीलांटस के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । प्रथमदृष्टया मामला अपीलांटस के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टस को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–1–15 एवं इसकी पालना में इर्ज इंतकाल सं0 208 दिनांक 28–1–15 में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में रेकार्ड एवं मौका की यथारिथति बनाई रखी जावे। आदेशिका की प्रमाणित प्रति जारी की जावे। रेस्पोडेन्टस को तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 12–4–16 को पेश हो। [signature] 9/3/16	657 10.03.16 State कः नोटिस अप्राप्त
12.04.16	अपीलांट के अधिवक्ता उप०। पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आ० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रिकार्ड तलब करें। रेस्पो० को जारी सम्मन बाद /अवम तामील - अप्राप्त। पत्रावली दिनांक 17.05.16 को पेश हो। [signature]	
17.05.16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आ० ता० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रेस्पो० संख्या 02 को जारी सम्मन बाद तामील - प्राप्त। रेस्पो० को जारी सम्मन विधिवत तामील के प्राप्त हुआ परन्तु रेस्पो के उप० ना होने के कारण उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 16.06.16 को पेश हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

1447
16.06.16

16.06.16 — बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ....
अतः पत्रावली दिनांक 21.07.16 को पेश हो।

21.07.16 — अभिभाषक उभयपक्ष उप० रिकॉर्ड हेतु लिखा हुआ है अप्राप्त इंतजार रिकॉर्ड पत्रावली दिनांक 9.9.16 को पेश हो।

2250
14.9.16

9.09.16 — अभिभाषक उभयपक्ष उभयपक्ष उप० रिकॉर्ड अप्राप्त - स्मरण पत्र जारी करें। पत्रावली दिनांक 21.10.16 को पेश हो।

21.10.16 — अभिभाषक उभय पक्ष उप०। रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ। स्मरण पत्र जारी करें। पत्रावली दि० 6.12.16 को पेश हो।

6.12.16 — अभिभाषक उभय पक्ष उप०। रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 10-1-17 को पेश हो।

10.01.17 — अभिभाषक उभय पक्ष उप०। रिकॉर्ड अप्राप्त - स्मरण पत्र जारी करें। पत्रावली दिनांक 23.02.17 को पेश हो।

23.2.17 — अभिभाषक उभय पक्ष उप०। रेकार्ड तलब कर पत्रावली दि० 6.3.17 को पेश हो।

उपरान्त:
इतना लिखने पर वकील अपीलांट

23.2.17
23/2/17

20/2016

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Gen. No. 12

Rajasthan
—Office
—Deptt.

OFFICE NOTE

मैं निवेदन किया कि वे प्रकरण को NOT Press करते हैं तथा प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वकील अपीलांट द्वारा प्रकरण को NOT Press करने के कारण आगे कार्यवाही नहीं चलने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

781/19.03.17 N.T. मुकदमा कौंसिल की प्रति भेजी गई।

(हस्ताक्षर) 28/11/16

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर